प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 997 सन 2021

अनवान :–

1. सुनील कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. चेतराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
2. शारदा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. नोपा देवी पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 29.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 186/181 की कुल 23.2700हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सहीराम पुत्र चेतराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सहीराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज थी सहीराम पुत्र रावताराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि में से अपनी स्वैच्छा से अपने पौत्रों वादीगण के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी सहीराम पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है सहीराम पुत्र रावताराम को देहान्त होने पर रावताराम की वसीयत के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये है वादीगण वसीयत के अनुसार भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 सहीराम पुत्र चेतराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि में से सहीराम पुत्र रावताराम की वसीयत के अनुसार वादीगण भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा सहीराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज थी जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि में से कुछ भूमि की वसीयत अपने पौत्रो वादीगण के पक्ष में करवाई गई थी सहीराम पुत्र रावताराम का देहान्त हो चुका है सहीराम के देहान्त होने पर सहीराम की वसीयत के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी

उपखण्ड अधि॰
नोहर

सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 186/181 की कुल 23.2700हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सहीराम पुत्र चेतराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा सहीराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज थी जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष मे करवाई गई थी सहीराम पुत्र रावताराम का देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुकी है वादीगण अपने दादा सहीराम पुत्र रावताराम के देहान्त होने पर सहीराम की वसीयत के अनुसार अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वज सहीराम पुत्र रावताराम ने अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष मे करवाई गई वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 186/181 की कुल 23.2700हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सहीराम पुत्र चेतराम के नाम सें दर्ज है में से खसरा न0 156 की 3.0480हैक , खसरा न0 195 की 5.3620हैक खसरा न0 440/192 की 0.5440हैक खसरा न0 189 की 0.9108हैक कुल 9.8648हैक भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर.

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुनील कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. चेतराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. शारदा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. नोपा देवी पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 997 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 186/181 की कुल 23.2700हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सहीराम पुत्र चेतराम के नाम सें दर्ज है में से खसरा न0 156 की 3.0480हैक , खसरा न0 195 की 5.3620हैक्‍ खसरा न0 440/192 की 0.5440हैक्‍ खसरा न0 189 की 0.9108हैक्‍ कुल 9.8648हैक्‍ भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर